

**अनुदान संख्या 5 - नाभिकीय विद्युत स्कीमें**  
**GRANT No. 5-NUCLEAR POWER SCHEMES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2363,90,00		
			2419,57,00	2002,11,30
पूरक	Supplementary	55,67,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-417,45,70
<b>पूँजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1412,12,00		
			1714,40,00	1709,22,98
पूरक	Supplementary	302,28,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-5,17,02
				शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (41745.70 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 5567.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.41745.70 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.5567.00 lakhs obtained in December, 2009 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	236390.00		
पू.	S.	5567.00	200742.00	200211.30
पु.	R.	-41215.00		-530.70

(I) “नाभिकीय विद्युत उत्पादन - ईंधन सामग्री सूची-केकेएनपी ईंधन” के अंतर्गत 25500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5567.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 31067.00 लाख रु. कर दिया जो, तथापि, आपूर्तियों और सामग्रियों, ऋण की पुनर्दायगी, सीमा शुल्क और विनिमय दर में घटबढ़ के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 1482.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) “नाभिकीय विद्युत उत्पादन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) “ईंधन सामग्री सूची” -

(क) “टीएपीएस के लिए बीडब्ल्यूआर ईंधन” - 4706.73 लाख रु. की बचत (41365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “अन्य केंद्रों के लिए पीएचडब्ल्यूआर ईंधन” - 36987.02 लाख रु. की बचत (158575.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रणनीतिक सामग्री के आयात के सुपुर्दगी कार्यक्रम में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(खा) “अपशिष्ट प्रबंधन - एमएपीएस के लिए अतिरिक्त उन्नयन सुविधा संबंधी प्रचालनात्मक व्यय” - 136.87 लाख रु. की बचत (318.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयंत्र के प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें “नाभिकीय विद्युत उत्पादन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) “अपशिष्ट प्रबंधन - तारापुर में अपशिष्ट स्थिरीकरण संयंत्र का प्रचालनात्मक व्यय” - 236.57 लाख रु. का अधिक व्यय (1749.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Under “Nuclear Power Generation – Fuel Inventory - KKNP Fuel” – the original provision of Rs.25500.00 lakhs was augmented to Rs.31067.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5567.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1482.00 lakhs - due to requirement of less funds under supplies and materials, repayment of loan, custom duty and exchange rate variation.

(II) Under “Nuclear Power Generation” – savings also occurred under the following heads:-

(A) “Fuel Inventory” –

(a) “BWR Fuel for TAPS” – saving of Rs.4706.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41365.00 lakhs); and

(b) “PHWR Fuel for other Stations” – saving of Rs.36987.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.158575.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to change in the delivery schedule of import of strategic material.

(B) “Waste Management - Operational Expenses for Additional Upgrading Facility for MAPS” – saving of Rs.136.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.318.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards operational activities of the plant.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under “Nuclear Power Generation” – under the following heads:-

(A) “Waste Management - Operational Expenses of Waste Immobilisation Plant at Tarapur” – excess of Rs.236.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1749.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(खा) “राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण” - 1202.85 लाख रु.का अधिक व्यय (7030.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र-1 के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. को देय अतिरिक्त प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 158.50 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 100 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(B) “Rajasthan Atomic Power Station – Operation and Maintenance” – excess of Rs.1202.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7030.00 lakhs) was due to meet additional operation and maintenance charges payable to Nuclear Power Corporation of India Ltd. towards Rajasthan Atomic Power Station-1.

(II) Under two heads excess of Rs.158.50 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent and 100 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “4801” बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “4801” Capital Outlay on Power Projects
मू.	O. 80850.00
पू.	S. 25490.00

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “नाभिकीय विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड” के अंतर्गत 75000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2009 में 24970.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 99970.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 1 और 2 से संबंधित पूर्व-परियोजना कार्यकलापों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण 400.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Nuclear Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Bharatiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited” – the original provision of Rs.75000.00 lakhs was augmented to Rs.99970.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24970.00 lakhs in December, 2009 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.400.00 lakhs - due to delay in securing financial sanction for pre-project activities for Fast Breeder Reactors 1 & 2.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 86.49 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.86.49 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.

---